फर्द अहकाम नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अनिल गोदारा *बनाम* सरकार

मुकदमा अन्तर्गत धारा:- एल0आर0 136

मुकदमा नम्बर:- ..48.../2025

चक:- 1 बी छोटी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
23.04.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री अनिल गोदारा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवम् प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 2369 दिनांक 26.03.2025 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्टर पर प्रार्थी अनिल गोदारा को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई सुनील गोदारा के नाम से चक 1 बी छोटी, पटवार हल्का 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/70 के मुरब्बा न0 30 में खातेदारी कृषिभूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबंदी में प्रार्थी का नाम अनिलकुमार पुत्र श्री जयवीर एवं भाई का सुनीलकुमार पुत्र श्री जयवीर दर्ज है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड (सं0-9613- 5992-3218), पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि में अनिल गोदारा पुत्र श्री जयवीर गोदारा है । एवं प्रार्थी के भाई सुनील गोदारा के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड (सं0-5973-0584-4440), पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि में सुनील गोदारा पुत्र श्री जयवीर गोदारा है। प्रार्थी उक्त जमाबंदी में अनिल कुमार पुत्र जयवीर की जगह अनिल गोदारा पुत्र श्री जयवीर गोदारा एवं	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

सुनील कुमार पुत्र श्री जयवीर की जगह सुनील गोदारा पुत्र श्री जयवीर गोदारा शुद्धिकरण करवाना चाहता है। अनिल कुमार व अनिल गोदारा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है किसी अन्य व्यक्ति का नाम नही है इसी प्रकार सुनील कुमार व सुनील गोदारा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है किसी अन्य व्यक्ति का नाम नही है। भविष्य में उक्त नामों के सम्बध में कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की होगी। अतः– प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी उक्त जमाबंदी में अनिल कुमार पुत्र जयवीर की जगह अनिल गोदारा पुत्र श्री जयवीर गोदारा एवं सुनील कुमार पुत्र श्री जयवीर की जगह सुनील गोदारा पुत्र श्री जयवीर गोदारा शुद्धिकरण करने के आदेश हल्का पटवारी को दिये जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभिलिखित कथनो, प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 1 बी छोटी, पटवार हल्का 4 जैड, भू.अ.नि. चक महाराजका खाता संख्या 89/70 में अनिल कुमार पुत्र जयवीर के स्थान पर अनिल गोदारा पुत्र श्री जयवीर गोदारा एवं सुनील कुमार पुत्र श्री जयवीर के स्थान पर सुनील गोदारा पुत्र श्री जयवीर गोदारा राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner